राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— रजनी माधीवाल, आर ए एस

मुकदमा नम्बर—299/2017 (49/02) (108/95) राजस्व वाद

अनवान

1—श्री सवाई सिंह आत्मज ओनाड़सिंह सिंह राजपूत निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक—वादी के कायम मुकाम—अमर सिंह, पदम सिंह, ज्ञान कवर पिता सवाईसिंह राजपूत

— वादी।

बनाम

1—श्री बालुसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2—श्री रामा पिता रेमता माली निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेड़ा मृतक के कायम मुकाम—
2/1 राजीबाई बेवा रामा माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेड़ा
2/2 कन्हैया लाल पिता रामा माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेड़ा
2/3 किशन लाल पिता रामा माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेड़ा
2/4 सवणी पुत्री रामा पत्नी लादूलाल माली निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2/5 लेहरी पुत्री रामा पत्नी नारायणलाल माली निवासी लसाणी तह0 देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2/6 अमरी पुत्री रामा पत्नी रूपराम माली निवासी सिरयारी तह0 खारची जिला पाली।
2/7 पेमी पुत्री रामा पत्नी शम्भुलाल माली निवासी मादा की बस्ती तह0 देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल हाल करेड़ा

—प्रतिवादीगण।

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:—

1—वादीगण की ओर से — श्यामलाल बैद

2—प्रतिवादीगण की ओर से— भैरूलाल बापना (विपुल बापना)

निर्णय — दिनांक: 21.05.2018

संक्षेप में यह निवेदन है कि वादी द्वारा दिनांक 06.09.1995 को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर यह निवेदन किया कि मौजा थाणा तह0 माण्डल हाल करेड़ा की साबिक आराजी नम्बर 1415 रकबा 3.16 बीघा व आराजी नम्बर 1414 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 रामा के खातेदारी अधिकार की होकर खाइ न 1414 मे प्रतिवादी रामा का 1/2 आधा हिस्सा है उक्त आराजियात प्रतिवादी रामा ने वादी को दिनांक 26.04.1968 को बिल एवज 1000/— एक हजार रूपये मे विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया जिस पर वादी बैहसियत खातेदार कास्तकार के काबिज हो काश्त कर रहा है। आराजी नम्बर 1414 का 1/2 हिस्सा आधा हिस्सा वादी ने पूर्व में खरीद लिया था इसलिये उक्त आराजी का वादी संपूर्ण रकबे का खातेदार कास्तकार हो गया है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1415 के सेटलमेंट ओपरेशन के दौरान नवीन आराजी नम्बर 2666 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, नवीन आराजी नम्बर 2667 रकबा 0.06 बीघा, एवं साबिक आराजी नम्बर 1414 के नवीन नम्बर 2668 रकबा 0.01 बीघा कायम हुये। सेटेलमेंट के दौरान बादमरत आराजियात प्रतिवादी रामा द्वारा वादी को विक्रय कर दने के बावजूद भी सेटलमेंट कर्मियो से मिलकर खसरा बंदोबस्त से वादी का नाम कटवाकर प्रतिवादी रामा ने नवीन राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो कि इन्द्राज गलत है उक्त गलत इन्द्राज की आड मे प्रतिवादी रामा माली ने दिनांक 04.08.1995 को प्रतिवादी बालुसिंह को प्रतिवादी रामा को विक्रय करने का अधिकार न होते हुए जो पश्चातवर्ती विक्रय कर दिया जो शून्य व अप्रभावी है और राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी बालूसिंह ने पश्चातवर्ती विक्रय के आधार पर नामांतरकरण खुलवा लिया जो कि सर्वथा अवैधानिक है और ताकत के बल पर वादी को पश्चातवर्ती क्रेता बेदखल करना

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

चाहता है जिसका उसे अधिकार नही है वाद कारण दिनांक 04.08.1995 को उत्पन्न होने से यह वाद निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत है तथा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौका चाणा की नवीन आराजी नम्बर 2668 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा नवीन आराजी नम्बर 2667 रकबा 0.06 बीघा व नवीन आराजी नम्बर 2666 रकबा 0.01 बीघा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा नामांतरकरण सं0 807 दिनांक 04.08.1995 वादी की तुलना में शून्य व अप्रभावी है जो कि वादी राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है इस आशय की घोषणा करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित कर वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने से पाबंद किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी हुये और सम्यक तामिल हो जाने पर अधिवक्ता लक्ष्मीलाल जी कोठारी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया और जवाबदावा दोनो की ओर से प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने और सद्भाविक क्रेता होने से अपना खातेदारी अधिकार होने का उल्लेख किया। प्रतिवादी रामा के द्वारा दिनांक 04.08.1995 को प्रतिवादी बालुसिंह को विक्रय करने का उल्लेख किया और नामांतरकरण संख्या 807 के जरिये राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी बालुसिंह का नाम दर्ज खातेदारी हक से हो जाने का उल्लेख कर वादी के वादपत्र को खारिज करने की इस्तदुआ की।

तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई :-

(1) आया प्रतिवादी सं0 2 ने साबिक बन्दोबस्त की आराजी सं0 1415 का सम्पूर्ण हक हिस्सा एवं आराजी सं0 1414 का 1/2 हिस्सा वादी को दिनांक 26.04.1968 जरिये रजिस्टर्ड विकय कर कब्जा सुपुर्द किया। --वादी

(2) आया आराजी न0 1414 का नवीन नं0 2668 तथा आराजी नं0 1415 के नवीन नं0 2666 एवं 2667 कायम हुये जिन्हें प्रतिवादी सं0 2 ने षडयंत्रपूर्वक नवीन नम्बर से पुनः अपने नाम पर दर्ज करवा दिया। --वादी

(3) आया उक्त आराजियात प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी को दिनांक 26.04.1968 को विक्रय कर देने के बाद विवादित आराजियात में प्रतिवादी सं0 2 का कोई हक संबंध व अधिकार नहीं रहा है जिससे प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 04.08.1995 प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वादी के मुकाबले पूर्णतया शून्य व अप्रभावी है तथा वादी इससे पाबंद नही है। --वादी

(4) आया प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजियात बिल एवज 45000/- में पूरी जांच पडताल कर क्रय की है तथा आराजियात पर कब्जा भी प्रतिवादी सं0 1 का है जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। --प्रतिवादी

(5) आया दावा वादी बैरून मियाद है। --प्रतिवादी

(6) अनुतोष ?

वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 26.04.1968 को प्रमाणित कराया जो प्रदर्श संख्या 01 ए है तथा खसरा बदोबस्त प्रदर्श संख्या 02 प्रदर्शित कराया और अपने वाद पत्र की पुष्टि में वादी सवाई सिंह PW1 एवं लादुलाल PW2 के रूप में परीक्षित हुये।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य मे DW1 नाहर सिंह परीक्षित हुए। प्रतिवाद पत्र के समर्थन में एवं तनकी संख्या 4 जो प्रतिवादीगण को साबित करने का भार था प्रतिवादीगण दोनो ही साक्ष्य में उपस्थित नही हुये।

पत्रावली बहस हेतु नियत हुई। दोनो पक्षो ने अपनी अपनी बहस समायत की । मैने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर सूक्ष्म से सूक्ष्म बिन्दुओ पर मनन किया।

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है:-

तनकी नं0 1

तनकी संख्या 1 का भार वादी पर था वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को साक्षी के रूप में परीक्षित करते हुए दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 ए तथा दस्तावेज खसरा बंदोबस्त प्रदर्श संख्या 2 प्रदर्शित

उपखंड अधिकारी पड़ेश
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

हुए। वादी ने रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1968 वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2 रामा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 रामा जो खातेदार था उसके द्वारा दिनांक 26.04.1968 को सम्पूर्ण रकबा विक्रय कर देने से आर0 टि0 एक्ट की धारा 63 से उसके खातेदारी हक निर्वापित होकर क्रेता वादी में समाहित हो जाने से वादी की खरीदशुदा आराजी जो रजि0 बेचान पत्र से है इस प्रकार यह न्यायालय द्वारा उपधारणा की जावेगी कि विक्रेता ने वादग्रस्त आराजियात का कब्जा क्रेता को सिपुर्द कर देना विक्रय पत्र में लेखनी से स्वीकार किया है इसलिए क्रेता का ही कब्जा माने जाने योग्य है। अतः यह तनकी वादी साबित करने में सफल हुआ है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2

तनकी नं0 2 वादी को साबित करने का भार निर्धारित किया। उक्तानुसार दस्तावेज प्रदर्श संख्या 2 का अवलोकन करने से साबिक आराजी नं0 1414, 1415 के नवीन आराजी नं0 2666, 2667 व 2668 कायम होना साबित हो गया और यह दस्तावेज लोक दस्तावेज है जिसमें संशय होने का कोई प्रश्न नही है।

प्रतिवादी संख्या 2 रामा ने उक्त आराजीयात दिनांक 26.04.1968 को ही वादी सवाईसिंह पिता ओनाड सिंह राजपूत को विक्रय कर दी। देखने खसरा बंदोबस्त प्रदर्श संख्या 02 के कॉलम नं 23 में सवाईसिंह पिता ओनाड सिंह राजपूत का नाम अंकित होना जाहिर है और उक्त इन्द्राज को कटिंग करना भी जाहिर है लेकिन कटिंग क्यों किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और आदेश की क्रम सं0 व दिनांक भी नहीं है। इसका कारण उक्त दस्तावेज पर अंकित न होने से यह तो प्रमाणित हो गया कि क्रेता सवाईसिंह पिता ओनाड सिंह राजपूत का संवत् 2025 के खसरा बंदोबस्त में नाम इन्द्राज था। लेकिन कटिंग का कोई कारण उल्लेख न करने से एवं वादी प्रथम क्रेता होने से पश्चातवर्ती विक्रय पत्र अपने आप ही शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि दिनांक 26.04.1968 को खातेदार ने अपने अधिकार वादी क्रेता को अंतरित कर देने से अब प्रतिवादी रामा के पास विक्रय करने योग्य कोई भूमि बची ही नही। इस प्रकार जब पश्चातवर्ती क्रेता को विक्रेता ने क्या विक्रय किया और किसको कब्जा दिया यह प्रमाणित नही है क्योंकि धारा 63 रा0टि0एक्ट के तहत खातेदार के सारे अधिकार दिनांक 26.04.1968 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से समाप्त हो गये और क्रेता में खातेदारी हक समाहित हो गये। इस कारण पुनः वादी अपने नाम पर खातेदारी हक से पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी बालूसिंह के स्थान पर इन्द्राज कराने का हकदार है इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण प्रदर्श सं0 2 में सभी कटिंग उचित रूप से की गयी है ऐसा साबित करने में प्रतिवादीगण सर्वथा असफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3

तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकि है इसलिए यह तनकी नं0 3 रीपिटिशन से बचने के लिए वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है क्योंकि जहां विक्रय पत्र पंजीकृत हो और विक्रय के द्वारा क्रेता को प्रथम रजि0 विक्रय पत्र से विक्रय कर दी हो तो पश्चातवर्ती विक्रय पत्र शुन्य एवं निष्प्रभावी होगा और प्रथम रजि0 विक्रयपत्र ही प्रभावी होगा ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 D.N.J. (सुप्रीम कोर्ट) पेज संख्या 528 पर निर्धारित किया। इस निर्णय के प्रकाश में यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 4

तनकी सं0 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था और वे दोनो स्वयं साक्षी के रूप में कितने ही अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए और अपनी और से DW1 नाहरसिंह को प्रस्तुत किया जिसने वादग्रस्त आराजी पर वादी सवाईसिंह का कब्जा होना एवं उसका पडोसी साक्षी नाहरसिंह ने होना स्वीकार किया इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा पेश साक्षी DW1 नाहरसिंह के अभिकथनो से वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित होता है न कि प्रतिवादीगण का। पश्चातवर्ती विक्रय पत्र का पूर्ववर्ती विक्रय पत्र के मुकाबले कोई महत्व नही है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख ऊपर के पेरा मे किया जा चुका है अतः यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 5

यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे साबित करने का भार था किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेशीयली पर नही आयी है जिससे वादी का वाद बेरून मियाद प्रकट होता हो। जैसा कि पश्चातवर्ती रजि0

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1995 का है तथा वादी ने दिनांक 06.09.1995 को वादपत्र प्रस्तुत किया और कारण वाद भी दिनांक 04.08.1995 का होना प्रकट है। इसलिए वादी दावा बेरून मियाद न होकर निर्धारित समयावधि तीन वर्ष में प्रस्तुत होने से यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार योग्य ठहरता है अतएव

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादगण स्वीकार कर मौजा थाणा के नवीन राजस्व ग्राम उन्हाली का वाडिया के आराजी नं0 2666 रकबा 2.18 बीघा, आराजी नं0 2667 रकबा 0.06 बीघा व आराजी नम्बर 2668 रकबा 0.01 बीघा का वादी को पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में नामांतरकरण 807 को पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप न करने से पाबंद किया जाने की डिक्री वादी सवाईसिंह (मृतक) के वारिसान के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जाती है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादी सवाईसिंह(मृतक) के वारिसान के नाम खातेदारी हक से राजस्व ग्राम थाणा के नवीन राजस्व ग्राम उन्हाली का वाडिया मे अभिलिखित किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माथीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प करेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–299/2017 (49/02) (108/95) राजस्व वाद

अनदान

1–श्री सवाई सिंह आत्मज ओनाड़सिंह सिंह राजपूत निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेडा जिला भीलवाडा मृतक–वादी के कायम मुकाम–अमर सिंह, पदम सिंह, ज्ञान कंवर पिता सवाईसिंह राजपूत

–– वादी।

बनाम

1–श्री बालुसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेडा जिला भीलवाडा।
2–श्री राना पिता रेमता माली निवासी थाणा तह0 माण्डल हाल करेडा मृतक के कायम मुकाम–
2/1 राजीबाई बेवा राना माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेडा
2/2 कन्हैया लाल पिता राना माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेडा
2/3 किशन लाल पिता राना माली निवासी टोकरा तह0 माण्डल हाल करेडा
2/4 रावगी पुत्री राना पत्नी लादूलाल माली निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2/5 लेहरी पुत्री राना पत्नी नारायणलाल माली निवासी लसाणी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द।
2/6 अमरी पुत्री राना पत्नी रूपराम माली निवासी सिरयारी तह0 खारची जिला पाली।
2/7 प्रेमी पुत्री राना पत्नी शम्भूलाल माली निवासी मादा की बस्ती तह0 देवगढ जिला राजसमन्द।
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल हाल करेडा

––प्रतिवादीगण।

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0टि0ए0 1955 प्र0सं0 299/2017 (49/02) (108/95) **रा.वाद** निर्णय दिनांक 21.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री श्यामलाल वैद्य मिनजानिब मुददई व वकील प्रतिवादीगण श्री भैरूलाल बापना (विपुल बापना) मनलाभिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर नौजा थाणा के नवीन राजस्व ग्राम उन्हाली का बाडिया के आ0नं0 2666 रकबा 2.18 बीघा, आराजी नं0 2667 रकबा 0.06 बीघा व आराजी नम्बर 2668 रकबा 0.01 बीघा का वादी को पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में नामांतरकरण 807 को पूर्ववर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर शून्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से आराजी नं0 2666,2667 व 2668 आराजियात में प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप न करने से पाबंद किया जाने की डिक्री वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जाती है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादी सवाईसिंह (मृतक) के वारिसान का नाम खातेदारी हक से राजस्व ग्राम थाणा के नवीन राजस्व ग्राम उन्हाली का बाडिया मे अभिलिखित किया जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 21.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner